UPAD010065322026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 02, प्रयागराज

उपस्थित : अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2353 / 2026

1. अभयंकर सिंह पुत्र अखिलेश सिंह
2. आदेश सिंह पुत्र अनुज प्रताप सिंह

निवासीगण ओबरी, थाना खीरी, जिला प्रयागराज

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन

मु0अ0सं0 68 / 2026

धारा 115(2), 117(2), 352, 351(3), 190, 191(2), 191(3), 109(1) भा0न्या0सं0

थाना खीरी, जनपद प्रयागराज

17.06.2026

1. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अभयंकर सिंह एवं आदेश सिंह की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ स्वयं के शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किये गये हैं कि उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा आनन्द प्रताप सिंह ने दिनांक 04.05.2026 को संबंधित थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी कि दिनांक 04.05.2026 को समय अपराह्न 03 बजे उसके पड़ोसी जमीनी रंजिश को लेकर अचानक अखिलेश सिंह, आकाश सिंह, अभियंकर सिंह, आदेश सिंह व आदर्श प्रताप सिंह उर्फ ईशू वादी के घर पर चढ़ आये और उसको मारना–पीटना शुरू कर दिये। बीच बचाव करने के लिए वादी के पिता राकेश सिंह व दिनेश सिंह व बृजेश प्रताप सिंह व भाई नीरज सिंह पहुंचे तो उपरोक्त हमलावार धारदार कुल्हाड़ी व कटवासा से वार कर लहु–लुहान कर दिये कर दिया व जान से मारने की धमकी देते रहे।

3. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि वे निर्दोष है एवं उन्होने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण ने वादी या उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मारा है। मामले के चोटहिलों की आघात आख्या में कोई गम्भीर चोट नहीं आयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारदार हथियार से प्रहार करने का कथन किया गया है,

जबकि आघात आख्या में किसी चोटहिल को धारदार हथियार की चोट नहीं आयी है। मामले का क्रास केस अभियुक्त पक्ष की ओर से मामले के वादी पक्ष के विरूद्ध एन0सी0आर0 नं. 32/2026 धारा 115(3), 352 भा0न्या0सं0 थाना खीरी में दर्ज है। प्रार्थीगण के विरूद्ध विधिक रूप से विश्वसनीय कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी संबंधित थाने की पुलिस प्रार्थीगण को गिरफ्तार करके जेल भेज कर अपमानित करना चाहती है। अतः प्रार्थीगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के निजी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के विरूद्ध लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर प्रस्तुत मामले की घटना कारित की गयी है। वादी तथा सभी चोटहिलों का चिकित्सकीय परीक्षण संबंधित थाने की पुलिस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कराया गया है तथा अन्य चोटहिलों के सिर में चोटें होने की स्थिति को देखते हुये उन्हे एस0आर0एन0 रेफर किया गया है। अभियुक्तगण अत्यन्त गुण्डा किस्म के व्यक्ति है। प्रार्थीगण घटना के बाद से ही फरार है, उनके द्वारा विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया गया है। मामले की विवेचना प्रचलन में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा वे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गम्भीरता,
2. अभियुक्तगण का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है,
3. न्याय से भागने की आवेदकगण की सम्भाव्यता, और
4. जहां अभियुक्तगण को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुॅचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य अभियुक्तगण के साथ नामित अभियुक्तगण हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा जमीन संबंधी पुरानी रंजिश को लेकर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा आनन्द प्रताप सिंह, उसके पिता राकेश सिंह, दिनेश सिंह, बृजेश सिंह व नीरज सिंह को मारने–पीटने का आरोप है। संबंधित थाने द्वारा प्रेषित केस डायरी के साथ संलग्न चोटहिलों की आघात आख्या के अनुसार चोटहिल आनन्द प्रताप सिंह के सिर,

हांथ व पैर पर कुल 04 चोटें पायी गयी है, जिसमें से चोट संख्या 1 जो कि सिर पर को निगरानी में रखते हुये मोती लाल नेहरू अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इसी प्रकार दूसरे चोटहिल बृजेश प्रताप सिंह के सिर पर लेसरेटेड उण्ड की एक चोट पायी गयी है, जिसको निगरानी में रखते हुये मोती लाल नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया है। तीसरे चोटहिल राकेश सिंह के सिर व दोनों हांथ में कुल 03 चोटें पायी गयी हैं तथा सभी को निगरानी में रखते हुये एम.एल.एन. रेफर किया गया है। उक्त चोटहिल राकेश सिंह की पूरक आघात आख्या में उसकी चोट को गम्भीर प्रकृति की पाया गया है। चौथे चोटहिल दिनेश प्रताप सिंह के सिर के आगे व पीछे कुल 03 चोटें पायी गयी हैं तथा सिर की चोट संख्या 1 व 2 को निगरानी में रखते हुये मोती लाल नेहरू चिकित्सालय रेफर किया गया है। उक्त चोटहिल की पूरक आघात आख्या में सिर पर हेमोटोमा तथा चोट को गम्भीर प्रकृति का होना पाया गया है। मामले के उपरोक्त चोटहिलों द्वारा विवेचक को दिये बयान में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अपराध में सक्रिय भूमिका/भागीदारी बतायी गयी है। मामले की विवेचना प्रचलन में है। इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर यह निष्कर्ष अवधारित नहीं किया जा सकता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण को सिर्फ अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त आपराधिक वाद संस्थित किया गया है।

8. केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा तथा मामले के समस्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण अभयंकर सिंह एवं आदेश सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2353/2026 मु0अ0सं0 68/2026 धारा 115(2), 117(2), 352, 351(3), 190, 191(2), 191(3), 109(1) भा0न्या0सं0 थाना खीरी, जनपद प्रयागराज निरस्त किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 17.06.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.06.18 19:46:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court